दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 27-08-2025

छात्राओं से बेड टच करने वाले शिक्षक की अपील खारिज

हाई कोर्ट ने कहा-शिक्षक का पद जिम्मेदारी का

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने मुंगेली के बरेला में पदस्थ शिक्षक की अपील खारिज कर दी। शिक्षक ने पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने सुनवाई में कहा कि शिक्षक का पद विश्वास और जिम्मेदारी का होता है। किसी नाबालिग छात्रा से यौन या अपमानजनक कृत्य गंभीर आपराधिक अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। मुंगेली के बरेला शासकीय स्कूल में कीर्ति कुमार शर्मा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त था, लेकिन वो बिना अधिकार कक्षा 7 में जाकर विज्ञान पढ़ाता था। छात्राओं ने उनके खिलाफ बेड टच और अभद्र टिप्पणी की शिकायत की। 2019 में बीईओ प्रतिमा मंडलोई ने जांच की। शिक्षकों और छात्राओं के लिखित बयान में आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस केस दर्ज हुआ। स्पेशल जज, एफटीसी ने 2 मार्च 2022 को शर्मा को 2 साल 2 माह 6 दिन कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी शिक्षक ने इस पर राहत मांगते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िताओं की गवाही को नकारने का कोई कारण नहीं है। एक अन्य छात्रा ने भी उत्पीड़न की पुष्टि की है।